

न्यायालय सहायक कलेक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 108/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/307

अनवान

1. श्रीमती रेखा पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि सम्पतलाल वेद जाति वेद निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.....वादीया

बनाम

1. श्रीमती अल्पना पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि मनीष वेद जाति वेद निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती वीना पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि कैलाश चन्द्र वेद जाति वेद निवासी गायत्री चौक तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती सुषमा पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि पुष्करलाल वेद जाति वेद निवासी बोहेडा डांगीयो का चौराहा तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ राज.।
4. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता वादी।

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 3।
3. राजपेशेकार उपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय: —

दिनांक : 20.01.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित होकर तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जता कर बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जताई कि विभाजन प्रस्ताव मेरी अनुपस्थिति में बनाई गई है तथा मौके कब्जे अनुसार नहीं बनाई गई हैं तथा बताया कि रिपोर्ट में मेरी भूमि आवादी में कन्वर्ट है जिसको अलग से दर्शाया नहीं गया है तथा पुनः रिपोर्ट मगवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से पाया कि बंटवाडा प्रस्ताव राजस्व अभिलेख एवं मौके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में बनाया गया। मौके पर उपस्थित वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ, सुन एवं समझ कर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ, सुन एवं समझ कर हस्ताक्षर किये गये।



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर
पीठारीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 108/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/307

अनवान

1. श्रीमती रेखा पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि सम्पतलाल वेद जाति वेद निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

_____वादीया

1. श्रीमती अल्पना पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि मनीष वेद जाति वेद निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती बीना पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि कैलाश चन्द्र वेद जाति वेद निवासी गायत्री चौक तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती सुषमा पुत्री कैलाशचन्द्र वेद पत्नि पुष्करलाल वेद जाति वेद निवासी बोहेडा डुंगीयो का घोराहा तहसील बडी सादडी जिला विल्लौडगढ़ राज.।
4. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

बनाम

_____प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि भौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किसम	लगान	
1	सुषमा पिता कैलाशचन्द्र जाति वेद सा. देह खातेदार	9095/7624	0.0092	बही डि.	0.24	
		7625/1	0.0231	बारानी प्रथम	0.12	
		योग	किता 2	0.0323	-	0.36
2	अल्पना पिता कैलाशचन्द्र जाति वेद सा. देह खातेदार	7625/2	0.0323	बारानी प्रथम	0.16	
		योग	किता 1	0.0323	-	0.16
		7625/3	0.0323	बारानी प्रथम	0.16	
3	रेखा पिता कैलाशचन्द्र जाति वेद सा. देह खातेदार	7625/3	0.0323	बारानी प्रथम	0.16	
		योग	किता 1	0.0323	-	0.16
		7625/4	0.0323	बारानी प्रथम	0.16	
4	बीना पिता कैलाशचन्द्र जाति वेद सा. देह खातेदार	7625/4	0.0323	बारानी प्रथम	0.16	
		योग	किता 1	0.0323	-	0.16

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिलेख अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय चुने न्यायालय सुनाया गया।